एम.ए.सी.पी. संख्या– 84/2018,

1. श्रीमती पवन देवी पत्नी स्व. प्रदीप दुबे उम्र करीब 28 वर्ष
2. सागर पुत्र स्व. प्रदीप दुबे उम्र 9 वर्ष नाबालिग
३. मंथन पुत्री स्व. प्रदीप दुबे उम्र 3 वर्ष नाबालिग

जरिये संरक्षिका मां श्रीमती पवन देवी

4. शेष नारायण पुत्र प्रभूदयाल उम्र 55 वर्ष

समस्त निवासीगण पिन्डारी तहसील कोंच, जिला जालौन, उ.प्र.।

–––––याचीगण

बनाम

1. गनेश कुमार पुत्र मुन्ना लाल नि. 33/2 एस.टी.एस. रेलवे कालौनी, झाँसी

.....मालिक TUV No. UP 93 AY 4552

2. शहजाद अली पुत्र आजाद अली निवासी 28 भैरो खिड़की थाना कोतवाली जिला झाँसी, उ.प्र.

.....चालक महिन्दा TUV No. UP 93 AY 4552

3. लीगल मैंनेजर रॉयल सुन्दरम एलायंस ज. ई. लि. लिगन एण्ड टी. पी. डिपार्टमेन्ट सुवरामिडयल बिल्डिंग द्वितीय फ्लोर नं. 1 क्लब हाउस रोड अन्ना सलाई चेन्नई 600002

.....बीमा कम्पनी महिन्द्रा TUV No. UP93AY 4552

––––––विपक्षीगण

23.06.2020

पत्रावली पेश हुयी। याचीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री महेन्द्र विश्वकर्मा उपस्थित।

याचीगण व विपक्षी सं. 3 बीमा कम्पनी के मध्य हुआ सुलहनामा 17B पत्रावली पर दाखिल किया गया है, जिसके अनुसार विपक्षी सं. 3 बीमा कम्पनी महेन्द्रा क्षतिपूर्ति के रूप में मुबलिग 8,00,000/– रुपये याची को सम्पूर्ण सन्तुष्टि पर अदा करेगी जिसमें धारा 140 एम. वी. एक्ट की धनराशि समाहित है।

17B सुलहनामा विगत नियत तिथि पर उभय पक्ष की उपस्थिति में न्यायाधिकरण द्वारा तस्दीक किया जा चुका है। उभय पक्ष द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष सुलहनामा 17B की पुष्टि की गयी है तथा याची सुलहनामा 17B में दर्शित कुल मुबलिग 8,00,000/– रुपये प्रतिकर के रूप में लेने हेतु तैयार है, जिसे विपक्षी सं. 3 महेन्द्रा बीमा कम्पनी याचीगण को देने हेतु सहमत हैं। अतः याचिका सुलहनामा 17B के अनुसार पूर्ण सन्तुष्टि में निर्णीत किये जाने योग्य है।

आदेश

याचीगण की याचिका सुलहनामा 17B के अनुसार निर्णीत की जाती है। विपक्षी सं. 3 बीमा कम्पनी महिन्द्रा को आदेशित किया जाता है कि वह प्रतिकर की धनराशि मुबलिग 8,00,000/- (आठ लाख) रुपये 60 दिन के अन्दर न्यायाधिकरण में जमा करें। उक्त प्रतिकर धनराशि में से याची सं. 1 श्रीमती पवन देवी जो कि मृतक की पत्नी है, 25 प्रतिशत भाग मुब. 2,00,000/- (दो लाख) रुपये प्राप्त करेंगी, जिसमें से 75 प्रतिशत भाग मु. 1,50,000/– रुपये उसके नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सर्वाधिक ब्याज प्रदान करने वाली सावधि जमा योजना में पांच वर्ष के लिये जमा किया जावेगा जिसका वह मासिक/वार्षिक ब्याज प्राप्त करेगी तथा 25 प्रतिशत भाग मुब 50,000/– रुपये वह नकद प्राप्त कर सकेगी। याची सं. 2 सागर एवं याची सं. 3 मंथन जो कि मृतक के नाबालिग पुत्र व पुत्री हैं, उक्त प्रतिकर की धनराशि में से 30-30

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.06.23 05:03:37 UTC
Reason: Document Owner
Location: MOTOR ACCIDENT CLAIM TRIBUNAL JHANSI UP

प्रतिशत भाग मुब. 2,40,000/-, 2,40,000/-, (दो लाख चालीस हजार–दो लाख चालीस हजार) रुपये प्राप्त करगें, जो उनके नाम उनके वयस्क होने तक के लिये किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सर्वाधिक ब्याज प्रदान करने वाली सावधि जमा योजना में जमा की जाएगी एवं याची सं. 4 शेष नारायण जो कि मृतक के पिता हैं, उक्त प्रतिकर धनराशि का 15 प्रतिशत भाग मुब. 1,20,000/- (एक लाख बीस हजार) रुपये प्राप्त करेंगे जिसमें से 75 प्रतिशत भाग मु. 90,000/– रुपये उसके नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सर्वाधिक ब्याज प्रदान करने वाली सावधि जमा योजना में तीन वर्ष के लिये जमा किया जावेगा जिसका मासिक/वार्षिक ब्याज वह प्राप्त करेंगे तथा 25 प्रतिशत भाग मुब. 30,000/–रुपये वह नकद प्राप्त करेंगे। सुलहनामा 17B इस आदेश का भाग रहेगा।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झांसी।